

FORM No. III

APP-A

Crime-I



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर मुकाम...खीवसर

किरणकुमार बनाम ओमप्रकाश

किस्म मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट...नं. 03 सन्. 2019.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <b>07.02.2019</b>	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	<p>प्रार्थीगण ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जावे। मिसल वास्ते जबाब हेतु दिनांक 25.03.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>सहायक कलक्टर</b>  <b>खीवसर</b> </p> <p>25-3-19</p> <p>पञ्जाबी-देवनागरी लिखित प्रार्थना पत्र      मिसल वास्ते जबाब हेतु दिनांक 25.03.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>सहायक कलक्टर</b>  <b>(S.D.O.), खीवसर</b> </p> <p>22/4/19 <b>पञ्जाबी/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित</b></p> <p>पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है / अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 3/6 को प्रस्तुत है।</p> <p>3/6/19 <b>पञ्जाबी/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित</b></p> <p>पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है / अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 24/6/19 को प्रस्तुत है।</p>	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई।  
संलग्न अधिकारी जी मीटिंग में/  
अवकाश में है/ स्थानान्तरण हो चुका है/  
अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली भागामें  
दिनांकको 16/8/22 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई।  
संलग्न अधिकारी जी मीटिंग में/  
अवकाश में है/ स्थानान्तरण हो चुका है/  
अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली भागामें  
दिनांकको 17/9/22 को पेश हो।

पत्रावली पेश की जा रही है - प्रशासन  
उपरी मूल - प्रशासन की कार्यवाही -  
जिसका पत्रावली में उल्लेख है -  
22/9/22 को - पेश किया गया

22/9/22

पत्रावली - पेश की जा रही है - प्रशासन - उपरी  
प्रशासन का प्रशासनिक कार्य - 22/9/22  
पर - प्रशासनिक कार्य - प्रशासन - प्रशासन -  
विस्तृत विवरण - प्रशासन - प्रशासन -  
प्रशासन - प्रशासन - प्रशासन - प्रशासन -  
प्रशासन - प्रशासन - प्रशासन - प्रशासन -  
प्रशासन - प्रशासन - प्रशासन - प्रशासन -  
प्रशासन - प्रशासन - प्रशासन - प्रशासन -

उपरोक्त अधिकारी  
खीरसर (मामूर)


अतः शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एवं उक्त सभी समस्याओं का निराकरण हेतु प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर विवादग्रस्त माटों का सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढी कराना मेरी राय में न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः पत्रावली पर मौजूद रेकॉर्ड, फर्द मौका रिपोर्ट एवं बहस के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार खीवसर को यह आदेश दिया जाता है की :-


**आदेश**

अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा मौजा करणू के खसरा नंबर 798 रकबा 10 बीघा 11 बिश्वा का मौके पर रेकॉर्ड अनुसार सही नाप किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त के संबंध में प्रार्थीगण से नियमानुसार फिस जमा करवाई जावें।

**नोट** उक्तरोक्त खसरान पर किसी भी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो इस आदेश की पालना की जावें। उक्त आराजी किसी भी बैंक में रहन हो तो रहन यथावत रहेगा। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।

  
हनुमाना राम RAS  
(उपखण्ड अधिकारी)  
खीवसर (नागौर)

यह आदेश आज दिनांक 22.09.2022 को सरेइजलास सुनाया गया।

  
हनुमाना राम RAS  
(उपखण्ड अधिकारी)  
खीवसर (नागौर)